

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 जुलाई 2024—आषाढ़ 17, शक 1946

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

PHME-0109-2024-सत्रह-मैडि-1

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2024

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

- (1) सम्पूर्ण नियमों में, शब्द "लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण" जहाँ कहीं भी आए हों, के स्थान पर, शब्द "लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा" स्थापित किए जाएं।

- (2) नियम 11 में, उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़े जाए, अर्थात् :-
- “(7) इन नियमों की अनुसूची-दो में उल्लेखित विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50 प्रतिशत तक के पद (दोनों में से जो कम हो), संविदा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इन निर्देशों के अधीन आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेने के पश्चात या नियुक्ति प्राप्त कर लेने (ज्वाइनिंग) के उपरांत उन्हें पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।
- (8) संविदा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने लिये निम्नलिखित संविदा सेवक पात्र होंगे :-
- (एक) आवेदक विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर नियुक्त रहा हो। संविदा पद से नियमित पद की समकक्षता का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 22 जुलाई, 2023 के अनुसार किया जाएगा। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। उसे इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और यह प्रमाण-पत्र यथास्थिति जिला अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा;
- (दो) वह इन नियमों के अधीन नियमित पदों के लिये अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव पूर्ण करता हो;
- (तीन) यदि किसी संविदा अधिकारी ने एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न संविदा पदों पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 22 जुलाई, 2023 के अनुसार नियमित पद के समकक्षता निर्धारण के पश्चात् जो 05 वर्ष की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो, आवेदन कर सकेगा;
- (चार) यदि किसी संविदा अधिकारी को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना, सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी;

- (पॉच) किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्त अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा, जो नियमित पद हेतु समकक्षता एवं अर्हता रखता हो ;
- (छ) नियमित नियुक्ति होने की स्थिति में, संविदा अधिकारी को पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा;
- (सात) संविदा अधिकारी के लिए आरक्षित किए गए नियमित पदों पर भर्ती की पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा, इस हेतु नियुक्तकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारण किया जा सकेगा;
- (आठ) संविदा अधिकारी एक अथवा एक से अधिक प्रकार के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में, संविदा पद के जिस समकक्ष नियमित पद पर वह नियुक्ति हेतु आवेदन करता है, उसके बराबर या उच्चतर संविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उतने वर्ष की उसे विहित अधिकतम आयु-सीमा में छूट की पात्रता होगी। आयु संबंधी समस्त छूट सम्मिलित करते हुए, संविदा अधिकारी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (नौ) संविदा अधिकारियों के लिए समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित वे पद उस स्थिति में अन्य उम्मीदवारों से भरे जाएंगे, जिन पदों को भरे जाने के लिए विहित पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के पालन उपरांत पर्याप्त संख्या में संविदा अधिकारी अंतिम रूप से चयनित अथवा नहीं हो पाते। रिक्त रहे पद कौरी फारवर्ड नहीं किए जाएंगे जो संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित है;
- (दस) नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।”।
- (3) अनुसूची-एक में, समूह “क” चिकित्सा, अनुक्रमांक 5 तथा 7 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित कि जाएँ, अर्थात् :-

अनु. क्रं.	सेवा में सम्मिलित पद के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तिता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	उप संचालक के समकक्ष पद – उप संचालक (44) / उप संचालक (दंत स्वास्थ्य) (08) / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी (313) / अस्पताल अधीक्षक (6)	371	प्रथम श्रेणी	लेवल – 13 (67300–206900)	(एक) संचालनालय में 20 पद, प्रत्येक संभागीय कार्यालय में 03 पद, कुल 21 पद तथा जबलपुर, इन्दौर व ग्वालियर संभागीय कार्यालयों में न्यायालयीन कार्यों हेतु एक अतिरिक्त पद (उपसंचालक के कुल 44 पद). (दो) संचालनालय में 01 पद, तथा प्रत्येक संभागीय कार्यालय में 01 पद, (उप संचालक (दंत स्वास्थ्य) के कुल 08 पद)
7	विशेषज्ञ (4067)				
	(क) निश्चेतना विशेषज्ञ	467	प्रथम श्रेणी	लेवल – 13 (67300–206900)	(1) विभागीय जॉच और न्यायालयीन प्रकरण लंबित न

				कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (100 प्रतिशत)	होने पर और छानबीन समिति / चयन समिति द्वारा अनुसंशा पर, कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात, अभ्यर्थी क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के लिए पात्र होंगे किन्तु वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में उनके कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा एवं वे आपात कर्तव्यों का निर्वहन भी करते रहेंगे।
(ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ	96		प्रथम श्रेणी	लेवल - 14 (79900-211700) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात 100 प्रतिशत)	(2) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी के स्वीकृत पदों में क्षेत्रीय संवालक के पद भी सम्मिलित हैं।
(ग) मेडिकल विशेषज्ञ	724				(3) विभागीय जॉच तथा न्यायालयीन प्रकरण लंबित न होने और छानबीन समिति/चयन समिति द्वारा अनुसंशा पर वेतनमान/चार स्तरीय समयमान वेतनमान स्वीकृत है पीजी चिकित्सक जो प्राप्त करने वाले विशेषज्ञ के पद के लिए व विशेषज्ञ के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु पात्र होंगे।
(घ) स्त्री रोग विशेषज्ञ	708				(4) चार स्तरीय वेतनमान अंतर्गत, कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृति उपरांत, विशेषज्ञ निम्नानुसार पदनाम से संबोधित किये जावेगे :-
(ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ	155			लेवल - 15 (123100-215900) प्रवर श्रेणी वेतनमान (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात 100 प्रतिशत)	(क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान-विशेषज्ञ
(च) अस्थि रोग विशेषज्ञ	241				(ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान-वरिष्ठ विशेषज्ञ
(छ) शिशु रोग विशेषज्ञ	624	प्रथम श्रेणी		लेवल - 16 (129700-214300) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (प्रवर श्रेणी वेतनमान में 06 वर्ष सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात 05 प्रतिशत)	(स) प्रवर श्रेणी वेतनमान - सलाहकार विशेषज्ञ
(ज) पैथोलॉजिस्ट	147				(द) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान-मुख्य सलाहकार विशेषज्ञ
(झ) रेडियोलॉजिस्ट	109				
(ञ) सर्जरी विशेषज्ञ	730	प्रथम श्रेणी			
(ट) क्षय रोग विशेषज्ञ	61				
(ठ) मानसिक रोग विशेषज्ञ	4				
(ड) चर्म रोग विशेषज्ञ	1				

- (4) अनुसूची-दो, समूह "क" चिकित्सा में, अनुक्रमांक 5 तथा 7 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-
 (क) शीर्षक " वर्गीकरण, वेतनमान, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या " के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक " भर्ती का तरीका स्थापित किया जाए।

अनु. क्र.	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	कॉलम (4) में दर्शाये गये पदों का प्रतिशत जो सीधी भर्ती / पदोन्नति/चयन द्वारा भरे जायेंगे			अभ्युक्ति
				सीधी भर्ती द्वारा नियम- 6(1)(क) देखिये	पदोन्नति द्वारा नियम- 6(1)(ख) देखिये	चयन द्वारा नियम- 6(1)(ग) देखिये	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	उप संचालक के समकक्ष पद — उप संचालक (44) / उप संचालक दंत स्वास्थ्य (8 पद) / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी (313 पद) / अस्पताल अधीक्षक (6 पद)	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवायें — प्रथम श्रेणी	371	—	—	100 %	—
7	विशेषज्ञ (4067)						
	(क) निश्चेतना विशेषज्ञ	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवायें — प्रथम श्रेणी	467	25 %	—	75 %	
	(ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ	तदैव	96	25 %	—	75 %	
	(ग) मेडिकल विशेषज्ञ	तदैव	724	25 %	—	75 %	
	(घ) स्त्री रोग विशेषज्ञ	तदैव	708	25 %	—	75 %	
	(ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ	तदैव	155	25 %	—	75 %	
	(च) अस्थि रोग विशेषज्ञ	तदैव	241	25 %	—	75 %	
	(छ) शिशु रोग विशेषज्ञ	तदैव	624	25 %	—	75 %	
	(ज) पैथोलॉजिस्ट	तदैव	147	25 %	—	75 %	
	(झ) रेडियोलॉजिस्ट	तदैव	109	25 %	—	75 %	
	(ञ) सर्जरी विशेषज्ञ	तदैव	730	25 %	—	75 %	
	(ट) क्षय रोग विशेषज्ञ	तदैव	61	25 %	—	75 %	
	(ठ) मानसिक रोग विशेषज्ञ	तदैव	4	25 %	—	75 %	
	(ड) चर्म रोग विशेषज्ञ	तदैव	1	—	—	100 %	

(ग) अनुसूची-दो, " समूह 'क' चिकित्सा " अंत में निम्नलिखित टिप्पण जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"टिप्पण. — भविष्य में चर्मरोग विशेषज्ञ के नवीन अतिरिक्त पद स्वीकृत होने की दशा में 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 75 प्रतिशत चयन द्वारा भरे जाएंगे।"

- (5) अनुसूची-तीन, समूह "क" चिकित्सा में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएँ	अभ्युक्तिता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	विशेषज्ञ				
	(क) निश्चेतना विशेषज्ञ	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा / सी0पी0एस0 डिप्लोमा अथवा समतुल्य अर्हता	—
	(ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ			अथवा	
	(ग) मेडिकल विशेषज्ञ			भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि	
	(घ) स्त्री रोग विशेषज्ञ			अथवा	
	(ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ			भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में सुपर स्पेशलिटी डिग्री / डिप्लोमा	
	(च) अस्थि रोग विशेषज्ञ				
	(छ) शिशु रोग विशेषज्ञ				
	(ज) पैथोलॉजिस्ट				
	(झ) रेडियोलॉजिस्ट				
	(ञ) सर्जरी विशेषज्ञ				
	(ट) क्षय रोग विशेषज्ञ				
	(ठ) मानसिक रोग विशेषज्ञ				
	(ड) चर्म रोग विशेषज्ञ			(2) मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद में पंजीकरण अनिवार्य।	

(6) अनुसूची-चार (क), समूह 'क' चिकित्सा के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

अनुसूची-चार (क)
(नियम 14 देखिए)

चयन के लिये सेवा अनुभव तथा विभागीय चयन समिति के सदस्य
समूह 'क' चिकित्सा

अनु. क्र.	पद का नाम, जिससे चयन किया जाना है	पद का नाम, जिस पर चयन किया जाना है	पद जिससे कि चयन किया जाना है, की अनिवार्य अर्हताएँ यदि कोई हो, तथा अन्य अनुभव	चयन समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अपर संचालक (संचालनालय)/क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ/संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद/अपर संचालक, राज्य एड्स कंट्रोल सोसाईटी/संचालक, राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा एवं संचार ब्यूरो	संचालक, (संचालनालय)/संचालक, राज्य संस्थान स्वास्थ्य प्रबंधन और संचार ग्वालियर / प्रमुख, क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र नोट :- कुल 9 पदों में से 2 पद, सिविल सर्जन-सह-मुख्य अधीक्षक	03 वर्ष नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता होगी।	1. मुख्य सचिव, - अध्यक्ष 2. वरिष्ठ अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट सरकार का प्रमुख सचिव - सदस्य 3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग - सदस्य

		अस्पताल से चयन के पश्चात् अनुक्रमांक 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा भरी जाएगी।		4. अतिरिक्त सचिव/ उप सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग – सदस्य
2	वरिष्ठ संयुक्त संचालक / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	अपर संचालक, (संचालनालय) / क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें / संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद् / अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ / संचालक, राज्य स्वास्थ्य सूचना, शिक्षा एवं संचार ब्यूरो, नोट:- कुल स्वीकृत 13 पदों में से 03 पदों पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक पर पदस्थ व्यक्तियों से भरे जावेंगे।	04 वर्ष नोट:- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता	1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग – अध्यक्ष 2. आयुक्त, स्वास्थ्य – सदस्य 3. संचालक (राजपत्रित) – सदस्य 4. अपर संचालक (वित्त) / वित्तीय सलाहकार, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा – सदस्य 5. अपर संचालक (प्रशासन/राजपत्रित) / वरिष्ठ संयुक्त संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग – सदस्य सचिव 6. अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति / जनजाति का सदस्य – सदस्य
3	(1) संयुक्त संचालक (दंत स्वास्थ्य) / अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय / संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल / जिला स्वास्थ्य अधिकारी / जिला लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / जिला टीकाकरण अधिकारी (2) विशेषज्ञ – (क) निश्चेतना विशेषज्ञ, (ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ, (ग) मेडिकल विशेषज्ञ, (घ) स्त्री रोग विशेषज्ञ,	वरिष्ठ संयुक्त संचालक / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नोट – पद विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ व्यक्तियों के चयन से, 25 प्रतिशत शेष 75 प्रतिशत पद अनुक्रमांक 3 के कॉलम (2) में क्रमांक (1) एवं (3) के पदों पर पदस्थ व्यक्तियों के चयन से)	(1) 6 वर्ष (2) विशेषज्ञ के लिए जिन्होंने ग्रेड-पे 7600 में 06 वर्ष की सेवा कर ली है। (3) चिकित्सा अधिकारी के पास निम्नलिखित होना चाहिए – (क) 7600 ग्रेड-पे में 06 वर्ष की सेवा (ख) एम.डी. (प्रिवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन) के उपरांत 03 वर्ष की सेवा,	तदैव

	(ड) नेत्र रोग विशेषज्ञ, (च) अस्थि रोग विशेषज्ञ, (छ) शिशु रोग विशेषज्ञ, (ज) पैथोलॉजिस्ट, (झ) रेडियोलॉजिस्ट, (ञ) सर्जरी विशेषज्ञ, (ट) क्षय रोग विशेषज्ञ, (ठ) मानसिक रोग विशेषज्ञ (ड) चर्म रोग विशेषज्ञ (ढ) दंत चिकित्सा विशेषज्ञ (3) चिकित्सा अधिकारी		(ग) उप संचालक / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा अनुक्रमांक 03 के सामने कॉलम (2) में अनुक्रमांक (1) जैसे पदों का 02 वर्ष का कार्य अनुभव। नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता	
4	उप संचालक, (दंत स्वास्थ्य)	संयुक्त संचालक, (दंत स्वास्थ्य)	06 वर्ष नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता	तदैव
5	क्षय रोग विशेषज्ञ	अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय / संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल	06 वर्ष नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता	तदैव
6	उप संचालक / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक	जिला स्वास्थ्य अधिकारी / जिला परिवार लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी	06 वर्ष नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता	तदैव
7	उप संचालक / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल अधीक्षक / शिशुरोग विशेषज्ञ	जिला टीकाकरण अधिकारी	(1) 06 वर्ष (2) उप संचालक एवं प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी हेतु प्रिवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य। नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता	तदैव
8	दंत शल्य चिकित्सक	उप संचालक, (दंत स्वास्थ्य)	(1) 06 वर्ष (2) शासकीय संस्था से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा प्रीवेंटीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/ डिप्लोमा (डिग्री उपरांत 03 वर्ष एवं डिप्लोमा उपरांत 05 वर्ष की सेवा), टीप:- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता	तदैव
9	चिकित्सा अधिकारी	उप संचालक / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी	(1) 06 वर्ष (2) शासकीय संस्था से मान्यता प्राप्त	तदैव

			विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ विषय में अथवा ग्रीवेन्टीव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/ डिप्लोमा (डिग्री उपरांत 03 वर्ष एवं डिप्लोमा उपरांत 05 वर्ष की सेवा), नोट - (क) चिकित्सा अधिकारी के लिए 5400 ग्रेड-पे में 06 वर्ष की सेवा अनिवार्य, (ख) चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता होगी,	
10	विशेषज्ञ (क) निश्चेतना विशेषज्ञ (ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ (ग) मेडिकल विशेषज्ञ (घ) स्त्री रोग विशेषज्ञ (ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ (च) अस्थि रोग विशेषज्ञ (छ) शिशु रोग विशेषज्ञ (ज) पैथोलॉजिस्ट (झ) रेडियोलॉजिस्ट (ञ) सर्जरी विशेषज्ञ (ट) क्षय रोग विशेषज्ञ (ठ) मानसिक रोग विशेषज्ञ (ड) चर्म रोग विशेषज्ञ (ढ) दंत चिकित्सा विशेषज्ञ	सिविल सर्जन सह मुख्य जिला अस्पताल अधीक्षक	विशेषज्ञ के रूपमें 7600 ग्रेड-पे में 06 वर्ष की सेवा नोट :- चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता	तदैव
11	चिकित्सा अधिकारी (क) निश्चेतना विशेषज्ञ (ख) ई.एन.टी. विशेषज्ञ (ग) मेडिकल विशेषज्ञ (घ) स्त्री रोग विशेषज्ञ (ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ (च) अस्थि रोग विशेषज्ञ (छ) शिशु रोग विशेषज्ञ (ज) पैथोलॉजिस्ट (झ) रेडियोलॉजिस्ट (ञ) सर्जरी विशेषज्ञ (ट) क्षय रोग विशेषज्ञ (ठ) मानसिक रोग विशेषज्ञ (ड) चर्म रोग विशेषज्ञ		ऐसे चिकित्सक जो स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारित करते हैं, व न्यूनतम वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्राप्त कर चुके हैं अथवा ऐसे चिकित्सक जिन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री उपरांत चिकित्सक के पद पर 02 वर्ष अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा उपरांत 03 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो, उन्नत वेतनमान पी0बी0 3 (15600-39100) + 6600 के लिए पात्र होंगे तथा ग्रेड पे के लिए पात्र होकर	तदैव

			विशेषज्ञ संवर्ग में रिक्तता अनुसार चयन हेतु पात्र होंगे। नोट - चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता	
12	दंत शल्य चिकित्सक	दंत चिकित्सा विशेषज्ञ	ऐसे दंत शल्य चिकित्सक जो स्नातकोत्तर डिग्री धारित करते हैं, व न्यूनतम वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्राप्त कर चुके हैं अथवा ऐसे दंत शल्य चिकित्सक जिन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री उपरांत दंत चिकित्सक के पद पर 02 वर्ष नियमित सेवा उन्नत वेतनमान पी0बी0 3 (15600- 39100) + 6600 में पूर्ण की हो ग्रेड पे के लिए पात्र होने पर दंत चिकित्सा विशेषज्ञ संवर्ग में पद पर रिक्तता अनुसार चयन हेतु पात्र होंगे। नोट - चयन का आधार योग्यता सह वरिष्ठता	तदैव

- नोट - (1) नियमों के प्रकाशन के पूर्व विभाग में पदस्थ एमबीबीएस चिकित्सक, नवीन उपबंध को शिथिल करते हुए, केवल एक बार के लिए प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी/जिला स्वास्थ्य अधिकारी/जिला चिकित्सा शिक्षा अधिकारी/जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी/जिला टीकाकरण अधिकारी के पद चयन हेतु पात्र होंगे।
- (2) शिशुरोग में डिग्री/डिप्लोमा अथवा प्रीवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन में डिग्री/डिप्लोमा धारण करने वाले चिकित्सा अधिकारी केवल एक बार नवीन उपबंधों को शिथिल करते हुए पूर्व में उपबंधित नियमों के अनुसार जिला टीकाकरण अधिकारी के पद पर चयन हेतु पात्र होंगे।
- (3) क्षय रोग विषय में डिग्री/डिप्लोमा धारित करने वाले चिकित्सा अधिकारी को नवीन उपबंधों को जोड़ते हुए, केवल एक बार पूर्व में उपबंधित नियमों के अनुसार अधीक्षक क्षयरोग चिकित्सालय या संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल के पद पर चयन के पात्र होंगे।
- (4) अनुक्रमांक (1) से (3) पर उल्लेखित पदों पर चयन प्रक्रिया के पूर्व, चिकित्सा अधिकारी से केवल दो बार विकल्प प्राप्त किया जावेगा कि वह चिकित्सा संवर्ग या लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग में से किस संवर्ग में चयन चाहता है।

PHME-0109-2024-XVII-M-1

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2022, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

- (1) Throughout the rules, for the words, "Public Health and family welfare", wherever they occur, the words, "Public Health and Medical Education" shall be substituted.
- (2) In rule 11, after sub-rule (6), the following sub-rules shall be added, namely:-

"(7) 50 percent of the total number of contractual officers who have completed 5 years of continuous service on contractual posts equivalent to regular posts of direct recruitment in the department as mentioned in Schedule II of these rules or up to 50 percent of the vacant posts of direct recruitment in the department (whichever is less) shall be kept reserved for the appointment of contractual officers. Under these instructions, after taking the benefit of reservation facility once or after getting the appointment (joining), they shall not be eligibility for the benefit again.

- (8) The following contractual servants shall be eligible to get the benefit of contractual reservation, namely:-
- (i) the applicant must have been appointed on contractual basis for a minimum period of 5 years on contractual basis equivalent to the vacant posts of regular recruitment in the department. The equivalence of regular post with contractual post shall be determined according to the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department's Circular dated 22nd July, 2023. This period of 5 years should be completed on the date of applying against the vacant post. He shall have to produce a certificate to this effect and this certificate shall be issued by the competent authority at the District or State level, as the case may be;
 - (ii) he must fulfill the educational qualification and other relevant experience required for the regular posts under these rules;
 - (iii) if a contractual officer has worked on different contractual posts without working on the same contractual post, then on completion of the calculation of the above period of 5 years, he can apply for appointment to the regular post of that

category, according to the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department's Circular dated 22nd July, 2023, after determining the equivalence of the regular post, it shall be in the lowest category after a period of 5 years;

- (iv) if a contractual officer has been removed from the contractual service during any period and he has got appointment on contract again on the same post or on any other post, then the period of contractual service of 5 years' shall be counted from the service, after reducing the period of isolation;
- (v) an officer appointed on contract, working in any department may apply for the post advertised by the Department of Public Health and Medical Education who has equivalence and qualification for the regular post;
- (vi) in case of regular appointment, the contractual officer shall not be able to get any benefit of the previous contractual services;
- (vii) selection shall be made through a transparent and competitive process of recruitment to the regular posts reserved for the contractual

officer, for this the minimum cutoff marks may be fixed by the appointing department;

- (viii) The contractual officer may have been appointed on one or more than one type of contractual posts. In such a situation, the number of years he has been employed on a contract equal to or higher than the regular post for which he applies for appointment, he shall be eligible for relaxation of the prescribed maximum age limit. Including all age relaxation, the maximum age of the contractual officer shall not exceed 55 years;
- (ix) those posts reserved for appointment to equivalent regular posts for contractual officers shall be filled from other candidates in the event that sufficient number of contractual officers are finally selected or after following the prescribed transparent and competitive process to fill the posts. Then the remaining vacant posts shall not be carry forwarded which are reserved for contractual officers/employees;
- (x) in the process of appointment against regular posts, it shall be ensured that the reservation rules of Scheduled Castes, Scheduled Tribes,

Other Backward Classes and Economically Weaker Sections are followed.”.

- (3) In Schedule-I, Group “A”-Medical, for serial number 5 and 7 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

Sr. No	Name of Posts included in service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“5.	Posts equivalent to Deputy Director: Deputy Director (44) / Deputy Director (Dental Health) (8) / Chief Block Medical Officer (313) / Hospital Superintendent (6)	371	Class I	Level 13 (67300-206900)	(i) 20 Posts for Directorate, 3 posts for each Divisional Office, total 21 posts, and 1 additional post for Jabalpur Indore and Gwalior Divisional Office for Court cases. (Total Deputy Director 44 posts) (ii) 1 Post for Directorate and 1 post for each Divisional Office (Total 08 posts of Deputy Director, Dental Health)

7.	Specialist (4067)				
	(a) Anaesthesia Specialist	467	Class-I	Level - 13 (67300 206900) Junior Grade Scale (100 %)	(1) In case of no departmental enquiry and legal case and on the recommendation of the Screening Committee /Selection Committee, after completing 6 years of service in Junior Grade Scale Senior Grade Scale and Selection Grade Scale, a candidate shall be eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well.
	(b) ENT Specialist	96			
	(c) Medical Specialist	724	do	Level - 14 (79900 211700) Senior Grade Scale (100 %)	
	(d) Obstetrics and Gynaecology Specialist	708			
	(e) Eye Specialist	155	do	after completing 6 year service in Junior Grade Scale)	
	(f) Orthopaedic Specialist	241			
	(g) Paediatric Specialist	624			
	(h) Pathologist	147		Level 15 (123100 215900) Selection Grade Scale (100%)	
	(i) Radiologist	109	do	after completing 6 years of service in Senior Grade Scale)	
	(j) Surgery Specialist	730			
	(k) Tuberculosis and Chest Specialist	61			
	(l) Psychiatrist	4			
	(m) Dermatologist	1			
				Level - 16 (129700 214300)	(2) Posts of Regional Director are also included in sanctioned posts of Senior Selection Grade.

--	--	--	--

(c) Senior Grade Pay Scale
Consultant Specialist
(d) Super Senior Grade Pay Scale
Chief Consultant Specialist

(4) In Schedule-II, Group A- Medical,-

- (a) for the heading "Classification, Pay Scale, Number of Posts Included in Service", the following heading "Method of Recruitment" shall be substituted;
- (b) for the serial numbers 5 and 7 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

Sr. No.	Name of Post	Name of Service	Total Number of Duty Post	Percentage of posts shown in column no. 4 which will be filled by Direct Recruitment / Promotion / Selection			Remark
				By Direct Recruitment {see rule 6(1)(a)}	By Direct Promotion {see rule 6(1)(b)}	By Selection {see rule 6(1)(c)}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"5.	Posts equivalent to Deputy Director : Deputy Director (44) / Deputy Director (Dental Health) (8) / Chief Block Medical Officer (313) / Hospital Superintendent (6)	Madhya Pradesh Public Health and Medical Education (Gazetted) Services- Class-I	371			100 %	
7.	Specialist (4067) (a) Anaesthesia Specialist	Madhya Pradesh	467	25 %		75 %	


	Public Health and Medical Education (Gazetted) Services- Class-I				
(b) ENT Specialist	-do-	96	25 %	75 %	
(c) Medical Specialist	-do-	724	25 %	75 %	
(d) Obstetrics and Gynaecology Specialist	-do-	708	25 %	75 %	
(e) Eye Specialist	-do-	155	25 %	75 %	
(f) Orthopaedic Specialist	-do-	241	25 %	75 %	
(g) Paediatric Specialist	-do-	624	25 %	75 %	
(h) Pathologist	-do-	147	25 %	75 %	
(i) Radiologist	-do-	109	25 %	75 %	
(j) Surgery Specialist	-do-	730	25 %	75 %	
(k) Tuberculosis and Chest Specialist	-do-	61	25 %	75 %	
(l) Psychiatrist	-do-	4	25 %	75 %	
(m) Dermatologist	-do-	1		100 %	

(c) after Schedule-II, 'Group A-Medical', the following Note shall be added at the end, namely:-

"Note.- In case new additional posts of Dermatologist are approved in future, 25 percent shall be filled through direct recruitment and 75 percent shall be filled through selection."

- (5) In Schedule-III, Group A Medical, for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S. No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Education Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1"	Specialist	21years	40 years	(1) Diploma / CPS Diploma in respective specialization or equivalent qualification recognised by the Medical Council of India.	
	(a) Anaesthesia Specialist			or	
	(b) ENT Specialist			Post Graduate Degree in respective specialization recognised by the Medical Council of India.	
	(c) Medical Specialist			or	
	(d) Obstetrics and Gynaecology Specialist			Super Speciality Degree / Diploma in respective specialization recognised by the Medical Council of India.	
	(e) Eye Specialist				
	(f) Orthopaedic Specialist				
	(g) Paediatric Specialist				
	(h) Pathologist				
	(i) Radiologist				
	(j) Surgery Specialist				
	(k) Tuberculosis and Chest Specialist				
	(l) Psychiatrist				
	(m) Dermatologist				



(2) Registration
in Madhya
Pradesh
Medical
Council is
compulsory.

(6) For Schedule-IV (A), Group 'A' Medical, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE-IV (A)

(see rule 14)

**Service Experience for Selection and Member of Selection
Committee
Group 'A' Medical**

S. No.	Name of post from which selection is to be made	Name of post on which selection is to be made	Essential qualification, if any, and other experience of the post from which selection is to be made	Members of the Selection Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Additional Director (Directorate)/Regional Director, Health Services/Director State Blood Transfusion Council/Additional Director, State Aids Control Society/Director, State Health and Information. Education and Communication Bureau	Director (Directorate)/Director, State Institute of Health Management and Communication Gwalior/Principal, Regional, Public Health and Medical Education Training Center Note:- Out of total 9 posts, 2 posts shall be filled by person working on post as specified in column (2) of S.No. 1, after selection from Civil	3 years Note. Basis of selection shall be merit cum seniority	1. Chief Secretary Chairman 2. A senior Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of Government nominated by the Chief Secretary Member 3. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary Public Health and Medical Education Department- Member

	Surgeon-cum-Chief Superintendent, District Hospital.				4. Additional Secretary/Deputy Secretary, Public Health and Medical Education Department - Member
2.	Senior Joint Director / Chief Medical and health Officer / Civil Surgeon cum Chief Superintendent, District Hospital.	Additional Director (Directorate) / Regional Director, Health Service/ Director State Blood Transfusion Council / Additional Director, State Aids Control Society / Director, State Health and Information, Education and Communication Bureau Note: Out of total 13 posts, 3 posts shall be filled by officers, working on Civil Surgeon- cum-Chief Supritendent, District Hospital.	4 years Note.- Basis of selection shall be merit cum seniority		1. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary Public Health and Medical Education Department Chairman 2. Health Commissioner - Member 3. Director (Gazatted) - Member 4. Additional Director (Finance) / Financial Advisor, Public Health and Medical Education Department - Member 5. Additional Director (Administration / Gazatted)/ Senior Joint Director, Public Health and Medical Education Department - Member Secretary 6. A member of Scheduled Castes / Scheduled Tribes nominated by the Chairman - Member. do-
3.	(1) Joint Director (Dental Health) / Superintendent Tuberculosis Hospital / Director Tuberculosis Demonstration and Training Centre,	Senior Joint Director / Chief Medical and health Note.- 25 percent from the selection of persons recruited on the post of specialist,	(1) 6 years (2) For specialist who have worked in Grade Pay 7600/ for 6 years		

<p>Bhopal / District Health Officer / District Public Health and Medical Education Officer / District Health and Epidemic Control Officer / District Immunization Officer</p>	<p>the remaining 75 percent from the selection of persons recruited on the posts of serial numbers (1) and (3) in column (2) of serial number 3.</p>	<p>(3) Medical Officers must possess the following, namely:- (a) worked in Grade Pay 7600/ for 6 years (b) 3 years service after MD (Preventive and Social Medicine). (c) 2 years of work experience on the post of Deputy Director / Chief Block Medical Officer or posts as mentioned in serial number (1), in column number (2) against serial number 3. Note. Basis of selection shall be merit-cum-seniority</p>
<p>(2) Specialist (a) Anaesthesia Specialist; (b) ENT Specialist; (c) Medical Specialist; (d) Obstetrics and Gynaecology Specialist; (e) Eye Specialist ; (f) Orthopaedic Specialist; (g) Paediatric Specialist; (h) Pathologist; (i) Radiologist; (j) Surgery Specialist; (k) Tuberculosis and Chest Specialist; (l) Psychiatrist; (m) Dermatologist; (n) Dental Specialist;</p>	<p>Joint Director (Dental Health)</p>	<p>6 years Note.- Basis of selection shall be merit-cum-seniority</p>
<p>(3) Medical Officer</p>	<p>Superintendent Tuberculosis Hospital / Director Tuberculosis</p>	<p>6 years Note.- Basis of selection shall</p>

do-

do-

		Demonstration and Training Centre, Bhopal	be merit-cum-seniority	
6.	Deputy Director / Chief Block Medical Officer / Hospital Superintendent	District Health Officer / District Public Health and Medical Education Officer / District Health and Epidemic Control Officer	6 years Note.- Basis of selection shall be merit-cum-seniority	-do-
7.	Deputy Director / Chief Block Medical Officer / Hospital Superintendent / Paediatric Specialist	District Immunization Officer	(1) 6 years (2) Post Graduate Degree in Preventive and Social Medicine is mandatory for Deputy Director and Chief Block Medical Officer. Note.- Basis of selection shall be merit cum-seniority	do-
8.	Dental Surgeon	Deputy Director (Dental Health)	(1) 6 years (2) Degree / Diploma in Public Health subject or Preventive and Social Medicine from a Government Institution or from a recognized University (3 years after degree and 5 years of service after Diploma)	do-

9.	Medical Officer	Deputy Director / Chief Block Medical Officer	<p>Note.- Basis of selection shall be merit cum-seniority</p> <p>(1) 6 years</p> <p>(2) Degree / Diploma in Public Health subject or Preventive and Social Medicine from a Government Institution or from a recognized University (3 years after degree and 5 years of service after Diploma).</p> <p>Note.- (a) 6 years of service in Grade Pay of Rs. 5400 is mandatory for the post of Medical Officer</p> <p>(b) Basis of selection shall be merit cum-seniority</p>	do-
10.	<p>Specialist</p> <p>(a) Anaesthesia Specialist</p> <p>(b) ENT Specialist</p> <p>(c) Medical Specialist</p> <p>(d) Obstetrics and Gynaccology Specialist</p> <p>(e) Eye Specialist</p> <p>(f) Orthopaedic Specialist</p> <p>(g) Paediatric Specialist</p>	Civil Surgeon- cum- Chief Supritendent, District Hospital.	<p>6 years of service in 7600/ Grade Pay as specialist</p> <p>Note.- Basis of selection shall be merit cum-seniority</p>	do

11.	(h) Pathologist (i) Radiologist (j) Surgery Specialist (k) Tuberculosis and Chest Specialist (l) Psychiatrist (m) Dermatologist (n) Dental Specialist Medical Officer	(a) Anaesthesia Specialist (b) ENT Specialist (c) Medical Specialist (d) Obstetrics and Gynaecology Specialist (e) Eye Specialist (f) Orthopaedic Specialist (g) Paediatric Specialist (h) Pathologist (i) Radiologist (j) Surgery Specialist (k) Tuberculosis and Chest Specialist (l) Psychiatrist (m) Dermatologist	Such doctors who possess Post Graduate Degree / Post Graduate Diploma and have obtained minimum senior grade pay scale or such doctors who have completed 2 years regular service on the post of doctor after Post Graduate Degree or 3 years after Post Graduate Diploma shall be eligible for upgraded Pay Scale PB-3 (15600-39100) + 6600 and shall be eligible for selection as per vacancy in specialist cadre by being eligible for Grade Pay.	do.
12.	Dental Surgeon	Dental Specialist	Such dental surgeons who possess a Post	-do-."

Note.- Basis of selection shall be merit cum-seniority

		<p>Graduate Degree and have obtained minimum senior grade scale or such dental surgeons who have completed 2 years of regular service on the post of dental surgeon after Master's Degree, in the upgraded pay scale (15600-39100) + 6600 shall be eligible for selection as per the vacancy on the post of Dental Specialist cadre by being eligible for Grade Pay.</p> <p>Note.- Basis of selection shall be merit-cum-seniority</p>
--	--	--

Note-(1) Before the publication of the rules, MBBS Doctors posted in the department, shall be eligible for selection to the post of Chief Block Medical Officer/District Health Officer/District Medical Education Officer/District Health and Epidemic Control Officer/District Immunization Officer for one time only, relaxing the new provision.

- (2) Medical Officers having degree/diploma in pediatrics or Degree/Diploma in Preventive and Social Medicine shall be eligible for selection to the post of District Immunization Officer as per the rules provided earlier, for one time only, relaxing the new provision.
- (3) By adding new provisions to the Medical Officer having Degree/Diploma in the subject of Tuberculosis only one time shall be eligible for selection to the post of Superintendent

Tuberculosis Hospital or Director Tuberculosis Demonstration and Training Center, Bhopal as per the rules provided earlier.

- (4) Before the selection process on the posts mentioned at serial number (1) to (3) option shall be obtained from the Medical Officer for only two times as to which cadre he wants to be selected, in the medical cadre or in the Public Health Management cadre.».

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुरभि गुप्ता, सचिव.